2

अतिक्रमण मुद्दा परिषद की बैठक में रखने की मांग

5

जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ा रहे अजय सिंह

6

युद्ध का नया हथियार डिजिटल गड़बड़ी

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 46 प्रति सोमवार, 23 मार्च 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

कर्ज के जाल में फंसता जा रहा मध्यप्रदेश

चालू वित्त वर्ष 2025-26 में लिया लगभग 84,900 करोड़ से अधिक कर्ज

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्य प्रदेश सरकार गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है, जहाँ चालू वित्त वर्ष 2025-26 में लिया गया कुल कर्ज लगभग 84,900 करोड़ से अधिक हो गया है। कुल कर्ज देनदारी 05 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जिससे राजकोष पर भारी दबाव है। इस कर्ज का बड़ा हिस्सा लाड़ली बहना जैसी कल्याणकारी योजनाओं और पुराने कर्जों के ब्याज भुगतान में जा रहा है। होली के दौरान 6300 करोड़ के बाद, मार्च के तीसरे सप्ताह में सरकार ने पुनः 4100 करोड़ के कर्ज का फैसला किया। आंकड़ों के अनुसार, राज्य को हर दिन लगभग 100-125 करोड़ से अधिक का कर्ज लेना पड़ रहा है, जो आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बना हुआ है। लगता है भाजपा सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक ही मॉडल बना लिया है, कर्ज लो, प्रचार करो और फिर नया कर्ज लो। लगातार बढ़ता कर्ज साफ बता रहा है कि सरकार का मनी मैनेजमेंट पूरी तरह विफल है। एक ओर निवेश और विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, दूसरी ओर प्रदेश की कमर लगातार कर्ज के बोझ तले झुकती जा रही है। सवाल यह है यह कर्ज आखिर जनता के हित में है या सिर्फ सरकार चलाने के लिए? और जब इसे चुकाने की बारी आएगी तो उसका बोझ आखिर जनता पर ही क्यों पड़ेगा?

मध्यप्रदेश की आर्थिक सेहत को लेकर इन दिनों दो अलग-अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ नीति आयोग ने अपनी 'Fiscal Health Index 2026' रिपोर्ट में राज्य को 'परफॉर्मर स्टेट' का दर्जा देकर थपथपाया है, तो दूसरी तरफ राज्य पर बढ़ता कर्ज का बोझ कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। मार्च के महीने में ही सरकार ने तीन किस्तों में कुल 16,200 करोड़ रुपये का नया कर्ज ले लिया है।

मार्च में उधारी की हैट्रिक

मार्च के महीने में सरकार ने उधारी की रफ्तार तेज कर दी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सरकार ने 4,100 करोड़ रुपये के दो अलग-अलग कर्ज लिए हैं। (शेष पेज 2 पर)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्थापित हुआ परंपरा, सम्मान और जनजातीय उत्थान का नया मॉडल

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में जनजातीय संस्कृति, परंपरा और अस्मिता के संरक्षण की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयास एक नई मिसाल के रूप में उभर रहे हैं। राज्य सरकार ने जिस संवेदनशीलता और दूरदृष्टि के साथ आदिवासी समाज की आस्था, सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को सहेजने का बीड़ा उठाया है, वह न केवल सराहनीय है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत सांस्कृतिक आधार भी तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनजातीय समाज के पूजा स्थलों और सांस्कृतिक केंद्रों अखरा के महत्व को समझते हुए 'अखरा विकास योजना' की शुरुआत की है। इस योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में स्थित इन पारंपरिक स्थलों का विकास किया जा रहा है, जहां पीढ़ियों से लोकसंस्कृति, नृत्य, अनुष्ठान और सामुदायिक जीवन का संचालन होता आया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। (शेष पेज 2 पर)

मध्यप्रदेश की खनन नीति में दिखा फर्क साफ, कमलनाथ की पारदर्शिता के आगे मोहन यादव का राजस्व मॉडल हुआ फैल

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश मे खनन नीति एक बार फिर राजनीतिक और नीतिगत बहस के केंद मे है। एक ओर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 237 विवादित पर्यावरणीय मंजूरियो मे से 09 रेत खदानो की मंजूरी को अवैध करार देकर शून्य घोषित किया गया है, तो दूसरी ओर राज्य सरकार खनिज क्षेत्र मे रिकॉर्ड निवेश और राजस्व वृद्धि के दावे कर रही है। इन दोनो के बीच तुलना स्वाभाविक रूप से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा तैयार की गई खनन नीति और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की खनन नीति के बीच होने लगी है। यह तुलना केवल राजनीतिक नही, बल्कि नीति की आत्मा, कार्यशैली और जमीनी प्रभाव को लेकर भी है।

एनजीटी का फैसला और मौजूदा व्यवस्था पर सवाल

एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच का हालिया फैसला केवल 9 रेत खदानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट कहा कि बिना स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (सिया) की विधि सम्मत स्वीकृति के जारी की गई पर्यावरणीय मंजूरियां प्रारंभ से ही शून्य हैं। पन्ना जिले की जिन रेत खदानों को अवैध ठहराया गया, वहां न तो जनसुनवाई हुई और न ही पर्यावरणीय नियमों का पालन किया गया। जलमग्न क्षेत्रों में खनन, जहां स्पष्ट प्रतिबंध है, वहां भी डीम्ड क्लॉज का दुरुपयोग कर मंजूरी दे दी गई। यह पूरा घटनाक्रम इस बात को रेखांकित करता है कि वर्तमान खनन व्यवस्था में नियमों के पालन से अधिक "प्रक्रियात्मक शॉर्टकट" को प्राथमिकता दी जा रही है। (शेष पेज 3 पर)

राजस्थान की बांगडोर या वित्तीय संकट? भजनलाल शर्मा सरकार पर बढ़ते सवाल

सवालों के घेरे में भजनलाल शर्मा का कार्यकालः कर्ज, कुप्रबंधन और कमजोर नेतृत्व की कहानी

-विजया पाठक

राजस्थान की राजनीति में वर्ष 2023 के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह निर्णय अपने आप में चौंकाने वाला था, क्योंकि राज्य की राजनीति में कई अनुभवी चेहरे मौजूद थे। ऐसे में एक अपेक्षाकृत नए नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना जहां एक प्रयोग माना गया, वहीं अब दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होते ही उनके कार्यकाल को लेकर गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। खासकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, लगातार उनकी कार्यशैली, प्रशासनिक क्षमता और वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। (शेष पेज 3 पर)

कर्ज के जाल में फंसता जा रहा मध्यप्रदेश

(पेज 1 का शेष)

इससे पहले 3 मार्च को 6,300 करोड़ और 10 मार्च को 5,800 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था। इस तरह सिर्फ एक महीने में ही 16,200 करोड़ की उधारी हो चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार का कुल कर्ज करीब 89,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि प्रदेश पर कुल बकाया कर्ज अब 5.08 लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया है।

मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है, जहां विकास की आकांक्षाएं और बढ़ता हुआ कर्ज दोनों आमने-सामने दिखाई देते हैं। बीते वर्षों में राज्य सरकार ने आधारभूत संरचना, सामाजिक योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर बड़े पैमाने पर खर्च किया है, लेकिन इसके साथ ही कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ता गया है। यह स्थिति अब केवल आंकड़ों का विषय नहीं रह गई, बल्कि भविष्य की आर्थिक स्थिरता से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन चुकी है। राज्य का कुल कर्ज लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हर वर्ष बजट में राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए सरकार को बाजार से ऋण लेना पड़ता है। यह कर्ज विकास कार्यों के लिए जरूरी पूंजी उपलब्ध कराता है, लेकिन जब इसकी सीमा बढ़ने लगती है, तो यह आर्थिक संतुलन को प्रभावित करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कर्ज की वृद्धि दर राज्य की आय वृद्धि से अधिक हो, तो यह दीर्घकालिक संकट का संकेत होता है। मध्यप्रदेश के संदर्भ में यही चिंता उभरती दिख रही है। एक ओर सरकार बुनियादी ढांचे सड़क, बिजली, सिंचाई और शहरी विकास पर निवेश बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर राजस्व के स्रोत अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पा रहे हैं। कर संग्रह में सुधार के बावजूद व्यय का दबाव अधिक है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, सब्सिडी और प्रशासनिक खर्च राज्य के बजट पर भारी पड़ रहे हैं। कर्ज के इस बढ़ते बोझ का सबसे बड़ा खतरा यह है कि भविष्य में राज्य की आय का बड़ा हिस्सा ब्याज और मूलधन चुकाने में खर्च होने लगेगा। इससे विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हो सकते हैं। यानी आज लिया गया कर्ज आने वाली पीढ़ियों पर वित्तीय दबाव के रूप में स्थानांतरित हो सकता है। यह स्थिति "कर्ज के जाल" की ओर संकेत करती है, जहां सरकार कर्ज चुकाने के लिए फिर से कर्ज लेने को मजबूर हो जाती है।

हालांकि, यह भी सच है कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। यदि कर्ज का उपयोग उत्पादक क्षेत्रों- जैसे उद्योग, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य में किया जाए, तो यह आर्थिक विकास को गति दे सकता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब कर्ज का बड़ा हिस्सा गैर-उत्पादक या अल्पकालिक लाभ देने वाली योजनाओं में खर्च होने लगे। ऐसे में कर्ज से मिलने वाला लाभ सीमित रह जाता है, जबकि उसका बोझ लगातार बढ़ता रहता है। इस परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश को एक संतुलित वित्तीय रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले, राजस्व बढ़ाने के लिए नए स्रोतों की खोज और कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना जरूरी है। इसके साथ ही, व्यय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा यानी अनावश्यक खर्चों में कटौती और योजनाओं की प्राथमिकता तय करना।

दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह हो सकता है कि सरकार कर्ज का उपयोग केवल उन परियोजनाओं में करे, जो दीर्घकाल में आय सृजन और रोजगार बढ़ाने में सहायक हों। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को बढ़ावा देकर भी सरकार अपने वित्तीय बोझ को कम कर सकती है। पारदर्शिता और जवाबदेही भी इस दिशा में अहम भूमिका निभाती है। यदि सरकार अपने वित्तीय निर्णयों को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखे और दीर्घकालिक आर्थिक योजना तैयार करे, तो कर्ज प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सकता है। मध्यप्रदेश के सामने चुनौती कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। जरूरत है दूरदर्शी नीतियों, सख्त वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलित मॉडल की। यदि समय रहते ठोस कदम उठाए जाएं, तो राज्य न केवल कर्ज के जाल से बाहर निकल सकता है, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है।

कर्ज के कारण और प्रभावः

कल्याणकारी योजनाएंः 'लाड़ली बहना योजना' जैसी योजनाओं पर सालाना 22,000 करोड़ से अधिक का बोझ है, जो सरकारी खजाने पर बड़ा दबाव है।

ब्याज का बोझः राजस्व का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 43%) पुराने ऋणों के ब्याज और पेंशन के भुगतान में खर्च हो रहा है।

विकास कार्यः सरकार का दावा है कि यह कर्ज आधारभूत संरचना और विकास कार्यों के लिए लिया जा रहा है।

संपत्ति की बिक्रीः वित्तीय संकट के चलते सरकार केरल में स्थित अपनी 577 एकड़ 'खानाची स्टेट' जमीन बेचने की योजना बना रही है, जिसका विरोध भी हो रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्थापित हुआ परंपरा, सम्मान और जनजातीय उत्थान का नया मॉडल

(पेज 1 का शेष)

सांस्कृतिक आत्मविश्वास को दी मजबूती

अखरा केवल एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि जनजातीय जीवन का सांस्कृतिक केंद्र होता है। यहां पारंपरिक नृत्य, गीत, लोककथाएं और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं। ऐसे में इन स्थलों का संरक्षण और विकास जनजातीय पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री साय की यह पहल आदिवासी समाज के सांस्कृतिक आत्मविश्वास को भी सुदृढ़ कर रही है। राज्य सरकार द्वारा जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आदिवासी सांस्कृतिक दलों को प्रोत्साहित करने के लिए वाद्य यंत्र क्रय हेतु प्रति दल 10 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है। पिछले दो वर्षों में 1180 सांस्कृतिक दलों को इसका लाभ मिला है, जिससे लोककलाओं को नई ऊर्जा और मंच प्राप्त हुआ है। यह प्रयास न केवल कलाकारों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि पारंपरिक कला रूपों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

15 करोड़ से अधिक की दी स्वीकृति

इसी क्रम में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पूजा स्थलों- देवगुड़ी के निर्माण और मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। बीते दो वर्षों में लगभग 800 देवगुड़ियों के लिए 15 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह पहल जनजातीय समाज की आस्था और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित करने का सशक्त माध्यम बन रही है। 'मुख्यमंत्री आदिवासी परम सम्मान निधि योजना' के तहत जनजातीय समाज के तीज-त्योहारों, परंपराओं और सांस्कृतिक आयोजनों को मूल स्वरूप में संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 हजार रुपए की सहायता प्रदान कर सांस्कृतिक परंपराओं के अभिलेखीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पिछले दो वर्षों में 11,266 ग्राम पंचायतों को 11 करोड़ 26 लाख 60 हजार रुपए की सहायता दी गई है, जो इस पहल की व्यापकता को दर्शाता है।

विशेष उत्साह और सम्मान की प्रतिष्ठा स्थापित की

जनजातीय गौरव दिवस, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है को राज्य में विशेष उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। यह आयोजन जनजातीय वीरों और पुरोधाओं के योगदान को याद करने और नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में जनजातीय समाज की गौरवगाथाओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाता है। बीते वर्ष रायपुर में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री साय ने बैगा, गुनिया, सिरहा और हथजोड़ जैसे पारंपरिक जनजातीय समुदायों को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया था। इसके साथ ही उन्हें 'मुख्यमंत्री सम्मान निधि' के तहत प्रतिवर्ष 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। यह कदम जनजातीय परंपराओं के संरक्षकों को सम्मानित करने और उनके योगदान को मान्यता देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रपति ने जनजातीय संस्कृति के महत्व को किया रेखांकित

इस दौरान देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का अंबिकापुर आगमन भी प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण क्षण रहा, जहां उन्होंने जनजातीय समाज को उनके इतिहास, शौर्य और परंपराओं पर गर्व करने का संदेश दिया। यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय संस्कृति के महत्व को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भी जनजातीय विकास को नई दिशा मिली है। 'प्रधानमंत्री जनमन योजना' और 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। इन योजनाओं के लिए क्रमशः 24,000 करोड़ और 80,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिल रहा है।

प्रशासन और समाज के बीच सेतु का कार्य

छत्तीसगढ़ सरकार इन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए भी सक्रिय है। राज्य में डेढ़ लाख से अधिक 'आदि कर्मयोगी' तैयार किए गए हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह प्रयास प्रशासन और समाज के बीच सेतु का कार्य कर रहा है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार जनजातीय शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित करने की योजना पर भी काम कर रही है।

साथ ही, जनजातीय लोककलाओं और वाचिक परंपराओं के दस्तावेजीकरण की दिशा में भी ठोस पहल की गई है, जिससे इन अमूल्य धरोहरों को संरक्षित किया जा सके। समग्र रूप से देखा जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। यह केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण है, जो जनजातीय समाज के सम्मान, आत्मगौरव और विकास को केंद्र में रखता है। इन पहलों के माध्यम से न केवल जनजातीय संस्कृति को नई पहचान मिल रही है, बल्कि राज्य और देश की सांस्कृतिक विरासत भी समृद्ध हो रही है। यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री साय के प्रयास जनजातीय समाज के लिए एक नई उम्मीद और सशक्त भविष्य की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।

अतिक्रमण में टूटी दुकानों मुद्दा परिषद की बैठक में रखने की मांग

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान प्रभावित हुई दुकानों का मामला को लेकर वार्ड क्रमांक 06 के पार्षद सुनील दुबे ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रियव्रत बकोरिया को पत्र सौंप कर इस मुद्दे को आगामी परिषद बैठक के एजेंडे में शामिल करने की मांग की है। पत्र में बताया गया कि वर्ष 2008-09 में नगर परिषद द्वारा नगर पालिका स्कूल स्टेशन के पास होशंगाबाद रोड पर 8 दुकानों का निर्माण कर उन्हें नीलामी के माध्यम से 30 वर्षों के लिए आवंटित किया गया था। इन दुकानों से कई बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला था। पार्षद ने आरोप लगाया कि टिमरनी में ब्रिज निर्माण के चलते उक्त दुकानों का करीब 8-8 फीट हिस्सा अतिक्रमण की जद में आने पर 5 फरवरी 2026 को प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया। इसके बाद से अब तक न तो दुकानों के पुनर्निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम उठाया गया है और न ही प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास पर विचार किया गया है। उन्होंने बताया कि 25 मार्च 2026 को नगर परिषद की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें इस मुद्दे को एजेंडे में शामिल कर उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है, ताकि प्रभावित दुकानदारों को राहत मिल सके।पार्षद ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस विषय पर कार्रवाई करते हुए दुकानदारों के हित में उचित निर्णय लिया।

मध्यप्रदेश की खनन नीति में दिखा फर्क साफ, कमलनाथ की पारदर्शिता के आगे मोहन यादव का राजस्व मॉडल हुआ फैल

(पेज 1 का शेष)

कमलनाथ की खनन नीति दूरदृष्टि और संतुलन की मिसाल

यदि हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 18 माह के कार्यकाल पर नजर डालें, तो खनन नीति को लेकर एक स्पष्ट दृष्टिकोण दिखाई देता है। कमलनाथ ने सत्ता संभालते ही यह समझ लिया था कि खनिज क्षेत्र केवल राजस्व का स्रोत नहीं, बल्कि पर्यावरण, स्थानीय समाज और कानून-व्यवस्था से सीधे जुड़ा विषय है। उनकी सरकार ने खनन नीति को निवेशक-उन्मुख बनाने के साथ-साथ पारदर्शिता और पर्यावरणीय संतुलन को भी केंद्रीय तत्व बनाया। कमलनाथ की सोच थी कि खनिज केवल आर्थिक संपदा नहीं, बल्कि स्थानीय विकास का माध्यम है। इसी के तहत खदानों के लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल किया गया, लेकिन नियमों से समझौता नहीं किया गया।

पर्यावरण और आदिवासी हितों की रक्षा

कमलनाथ सरकार की खनन नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों की रक्षा था। जंगल, नदी और वन्यजीव क्षेत्रों में खनन पर सख्त नियंत्रण, पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) का कड़ाई से पालन और आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामसभा की सहमति को अनिवार्य करना, इस नीति को संवेदनशील बनाता है। अवैज्ञानिक खनन से हुए नुकसान की भरपाई का प्रावधान भी नीति की गंभीरता को दर्शाता है। यही कारण था कि कमलनाथ के कार्यकाल में खनन से जुड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं या माफिया हिंसा की खबरें लगभग न के बराबर रहीं। कठोर निगरानी, जवाबदेही और राजनीतिक इच्छाशक्ति ने अवैध खनन पर लगाम कसने का काम किया।

कांग्रेस के वचनपत्र में थी जीरो टॉलरेंस की स्पष्ट घोषणा

कांग्रेस के वचनपत्र में खनन नीति को लेकर जो बिंदु रखे गए थे, वे केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि एक सुस्पष्ट रोडमैप थे। अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस, खनन माफिया और उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर सीधी आपराधिक कार्रवाई, जब्त मशीनों और वाहनों को राज्य के अधीन करने जैसे प्रावधान, नीति की कठोरता को दर्शाते हैं। अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने, रेत, गिट्टी, मुरम सहित सभी खनिजों में माफिया राज समाप्त करने और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों पर सीधी आपराधिक कार्रवाई का वादा किया गया है। अवैध खनन में प्रयुक्त मशीनें और वाहन जब्त कर राज्य के अधीन करने का प्रावधान भी शामिल है। रेत खनन के लिए नई नीति में नदी संरक्षण को प्राथमिकता, वैज्ञानिक सर्वे के बाद ही अनुमति और ग्राम पंचायतों व स्थानीय निकायों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। आम जनता को सस्ती और नियंत्रित दरों पर रेत उपलब्ध कराना भी प्रमुख लक्ष्य है। रेत खनन के संदर्भ में कांग्रेस ने नदी संरक्षण को प्राथमिकता देने, वैज्ञानिक सर्वे के बाद ही अनुमति देने और ग्राम पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही थी। साथ ही आम जनता को सस्ती और नियंत्रित दरों पर रेत उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, ताकि अवैध बाजार पनप न सके।

मोहन यादव की खनन नीति राजस्व केंद्रित और असंतुलित

वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की खनन नीति को यदि देखें, तो यह आर्थिक दृष्टि से राजस्व बढ़ाने पर केंद्रित दिखाई देती है। सरकार का दावा है कि खनिज ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी और निवेश-अनुकूल माहौल के कारण राज्य को 10 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व मिला है और हालिया खनिज कॉन्क्लेव में 56 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नीति सतत खनन, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय हितों को समान महत्व देती है? जमीनी हकीकत बताती है कि नर्मदा, चंबल, बेतवा और सोन जैसी नदियों के तटीय इलाकों में आज भी अवैध रेत खनन जारी है।

प्रदेश के दोनों नेताओं की कार्यशैली में भी अंतर

असल अंतर नीति से अधिक कार्यशैली का है। कमलनाथ की खनन नीति में स्थायित्व, पारदर्शिता और जवाबदेही का संतुलन था। वहीं मौजूदा सरकार की नीति में त्वरित निर्णय, डीम्ड मंजूरियां और नियमों को दरकिनार करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जिस पर एनजीटी की टिप्पणी एक गंभीर चेतावनी है। मध्यप्रदेश की खनन नीति पर जारी यह बहस केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप नहीं है, बल्कि यह तय करेगी कि राज्य का खनिज क्षेत्र विकास का माध्यम बनेगा या विवादों का। कमलनाथ द्वारा तैयार की गई खनन नीति और कांग्रेस के वचनपत्र में प्रस्तुत दृष्टिकोण यह साबित करता है कि यदि नीति दूरदर्शिता, पारदर्शिता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के साथ बनाई जाए, तो उसका लाभ वर्षों बाद भी मिलता है।

सवालों के घेरे में भजनलाल शर्मा का कार्यकाल

(पेज 1 का शेष)

अनुभवहीनता या रणनीतिक प्रयोग?

भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री बनना भाजपा की रणनीतिक चाल माना गया था। पार्टी ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के उद्देश्य से उन्हें आगे बढ़ाया। लेकिन शासन चलाने के लिए केवल राजनीतिक समीकरण पर्याप्त नहीं होते, बल्कि प्रशासनिक अनुभव, निर्णय लेने की क्षमता और संकट प्रबंधन की समझ भी जरूरी होती है। यही वह क्षेत्र है जहां उनके नेतृत्व पर सबसे ज्यादा प्रश्नचिंह लग रहे हैं। राज्य के कई प्रशासनिक फैसलों में स्पष्टता की कमी और बार-बार केंद्र की ओर झुकाव ने यह धारणा बनाई है कि मुख्यमंत्री स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। विपक्ष का आरोप है कि वे राज्य के हितों की मजबूती से पैरवी करने के बजाय "हाईकमान संस्कृति" के तहत काम कर रहे हैं।

दिल्ली यात्रा और उठते सवाल

हाल ही में मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा ने इस बहस को और तेज कर दिया।

विपक्ष का आरोप है कि यह यात्रा महज औपचारिकता बनकर रह गई और राज्य के हितों की अनदेखी हुई। टीकाराम जूली ने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री को केंद्र से राजस्थान के वित्तीय अधिकारों में हुई कटौतियों पर जवाब मांगना चाहिए था, न कि सिर्फ शिष्टाचार भेंट करनी चाहिए थी। यह आरोप केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं। यदि इन आंकड़ों पर गौर करें तो यह स्पष्ट होता है कि केंद्र से मिलने वाली राशि में कमी आई है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है।

केंद्र से वित्तीय कटौती का मुद्दा

विभिन्न योजनाओं और मदों में राजस्थान को अपेक्षा से कम राशि मिली है। उदाहरण के तौर पर SASCI स्कीम में अनुमानित 15,000 करोड़ रुपये के बजाय केवल 9,500 करोड़ रुपये मिले। केंद्रीय करों के हिस्से में भी लक्ष्य से कम राशि प्राप्त हुई। Grant-in-Aid में भी हजारों करोड़ की कमी दर्ज की गई। इन आंकड़ों के आधार पर विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि आखिर राज्य के हिस्से का पैसा कहां गया और मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर केंद्र से सख्ती से बात क्यों नहीं की। यदि यह आरोप सही हैं, तो यह केवल वित्तीय प्रबंधन का मामला नहीं, बल्कि राज्य के अधिकारों की रक्षा में कमजोरी का संकेत भी है।

कर्ज का बढ़ता बोझ

भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर है। विपक्ष का दावा है कि सरकार ने बेहद कम समय में भारी कर्ज ले लिया है। पिछली सरकार ने 05 वर्षों में लगभग 2.26 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया। वर्तमान सरकार ने लगभग 03 वर्षों में ही 2.22 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेने की स्थिति बना ली है। यह आंकड़ा अपने आप में चिंताजनक है। सवाल यह उठता है कि क्या यह कर्ज विकास कार्यों के लिए लिया जा रहा है या केवल राजकोषीय घाटा भरने के लिए? विपक्ष इसे "कर्ज लेकर घी पीने" की नीति बता रहा है, जिसका मतलब है कि सरकार खर्च तो कर रही है, लेकिन उसके पीछे कोई दीर्घकालिक आर्थिक योजना नजर नहीं आ रही।

प्रशासनिक पकड़ पर सवाल

भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था, महंगाई नियंत्रण और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठे हैं। कई मामलों में यह आरोप लगाया गया है कि प्रशासनिक मशीनरी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रही है। एक मजबूत मुख्यमंत्री की पहचान यह होती है कि वह प्रशासन पर पकड़ बनाए रखे और त्वरित निर्णय ले सके। लेकिन आलोचकों का कहना है कि वर्तमान नेतृत्व में यह क्षमता स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती।

राजनीतिक दबाव और सीमाएं

यह भी संभव है कि भजनलाल शर्मा के सामने राजनीतिक दबाव और सीमाएं हों। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के कारण उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व के साथ संतुलन बनाना पड़ रहा हो। लेकिन यही वह चुनौती होती है जो एक नेता को परिपक्व बनाती है। अब तक के कार्यकाल में यह संतुलन कई बार राज्य के हितों के विरुद्ध जाता हुआ नजर आया है, ऐसा विपक्ष का आरोप है।

क्या आगे सुधार की गुंजाइश है?

यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि स्थिति पूरी तरह निराशाजनक है। हर सरकार को अपने कार्यकाल के शुरुआती वर्षों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भजनलाल शर्मा के पास अभी भी समय है कि वे वित्तीय अनुशासन लागू करें, केंद्र से अपने अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ें, प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दें, जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दें, यदि वे इन क्षेत्रों में सुधार करते हैं, तो उनकी छवि को बदला जा सकता है। भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल अभी तक मिश्रित लेकिन विवादों से घिरा हुआ नजर आता है। जहां एक ओर वे एक नए चेहरे के रूप में उम्मीद लेकर आए थे, वहीं दूसरी ओर उनके प्रशासनिक निर्णय, वित्तीय नीतियां और केंद्र के साथ संबंधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

सम्पादकीय

भोपाल गोमांस कांड: सकते में बीजेपी

गोमांस मामले में जमानत के बाद भोपाल में सियासी और सामाजिक माहौल गर्मा गया है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया, पुलिस और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सांकेतिक अर्थी निकालकर पुतले फूंके। विरोध और सवालों के बीच अब इस केस की आगे की जांच और कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। गौरतलब है कि दिसंबर 2025 में जहांगीराबाद इलाके के पास एक कंटेनर पकड़ा गया था, जिसमें बड़ी मात्रा में मांस मुंबई भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी। जांच के लिए भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि होने के बाद मामला दर्ज किया गया और संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश में कम से कम 26 टन मांस ले जा रहे एक ट्रक की जब्ती ने भाजपा को रक्षात्मक स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि प्रयोगशाला परीक्षणों में गोमांस की उपस्थिति की पुष्टि हुई है और अधिकारियों ने कहा है कि यह खेप भाजपा-शासित बीएमसी (भोपाल नगर निगम) के अंतर्गत संचालित एक बूचड़खाने से जुड़ी हुई थी। राज्य सरकार, नगर निगम और स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व सभी भाजपा के नियंत्रण में होने के कारण, पार्टी पर इस बात को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है कि भैंसों के वध के लिए अधिकृत एक सुविधा केंद्र कथित तौर पर प्रतिबंधित गतिविधियों से कैसे जुड़ा हो सकता है। इस घटना ने विपक्ष और दक्षिणपंथी समूहों को समान रूप से नए हथियार मुहैया करा दिए हैं, जिससे भाजपा के शासन और गौ संरक्षण पर उसके प्रवर्तन के रिकॉर्ड की गहन जांच हो रही है- जो कि उसके प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में से एक है। भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस से गोमांस बरामदगी और आरोपी असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा की गिरफ्तारी के मामले में अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया है कि 6 महीने पहले उन्होंने भोपाल पुलिस को सूचना दी थी कि असलम चमड़ा 250 बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर भोपाल में गोमांस का कारोबार चला रहा है। उन्होंने आरोपी के पते भी पुलिस को दिए थे, लेकिन पुलिस ने जवाब दिया कि असलम कसाईखाना नहीं चलाता, यह काम तो नगर निगम करता है। अब कानूनगो ने सवाल उठाया है कि अगर कसाईखाना नगर निगम चलाता है तो उसके अफसरों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? प्रियंक कानूनगो ने कहा "असलम चमड़ा वाला प्रकरण आपको पता है, अभी हुआ है। भोपाल के किसी व्यक्ति ने मुझे नहीं बताया। दिल्ली के एक युवा ने आकर मेरे घर पर मुझे यह बताया कि भाई साहब भोपाल में असलम चमड़ा नाम का एक आदमी है जो 250 बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर भोपाल गया है और गाय काटने का धंधा कर रहा है।"

भोपाल पुलिस ने असलम चमड़ा को गोमांस तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन अब तक नगर निगम के किसी अफसर पर कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। नगर निगम ने कहा है कि स्लॉटर हाउस में गोहत्या नहीं होती, केवल निर्धारित पशुओं का निस्तारण होता है। लेकिन कानूनगो के आरोपों ने मामला फिर गरमा दिया है। हिंदू संगठनों ने मांग की है कि रोहिंग्या और असलम के नेटवर्क की गहन जांच हो। कुछ संगठनों ने रासुका लगाने की मांग दोहराई है। यह मामला अब गोहत्या, तस्करी, रोहिंग्या घुसपैठ और प्रशासनिक मिलीभगत जैसे गंभीर मुद्दों से जुड़ गया है। प्रियंक कानूनगो के खुलासे ने भोपाल पुलिस और नगर निगम पर दबाव बढ़ा दिया है। जांच के नतीजे और गिरफ्तारियां अब सभी की नजरों में हैं।

सियासी गहमागहमी

मध्यप्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी की ओर बढ़ते नरोत्तम मिश्रा

मध्यप्रदेश की राजनीति में नरोत्तम मिश्रा का नाम एक अनुभवी, रणनीतिक और संगठनात्मक रूप से मजबूत नेता के रूप में लिया जाता है। पूर्व गृहमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल प्रशासनिक पकड़ और राजनीतिक सक्रियता के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या उन्हें भविष्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन और सरकार के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। इस संदर्भ में नरोत्तम मिश्रा जैसे अनुभवी नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, जो न केवल सत्ता संचालन का अनुभव रखते हैं, बल्कि संगठन में भी मजबूत पकड़ रखते हैं। उनकी वक्तृत्व क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया शैली उन्हें पार्टी का प्रभावी चेहरा बनाती है। हालांकि, किसी भी बड़ी जिम्मेदारी का निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे क्षेत्रीय समीकरण, नेतृत्व की रणनीति और आगामी चुनावी चुनौतियां। बावजूद इसके, यह माना जा सकता है कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी के उन नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें भविष्य की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है।

जीतू पटवारी से अधिक प्रभावी साबित हो रहे उमंग सिंघार

मध्यप्रदेश की कांग्रेस राजनीति में नेतृत्व और प्रभाव को लेकर समय-समय पर नई बहसें उभरती रही हैं। हाल के परिदृश्य में यह धारणा तेजी से बनती दिख रही है कि उमंग सिंघार संगठनात्मक सक्रियता और आक्रामक राजनीतिक शैली के मामले में जीतू पटवारी से अधिक प्रभावी साबित हो रहे हैं। उमंग सिंघार ने आदिवासी अंचलों से लेकर राज्य स्तरीय मुद्दों तक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। उनकी राजनीति में जमीनी जुड़ाव और सीधे संवाद की शैली साफ नजर आती है, जो कार्यकर्ताओं के बीच ऊर्जा पैदा करती है। वे अक्सर सरकार के खिलाफ मुखर रुख अपनाते हैं और मुद्दों को तेजी से उठाने की क्षमता रखते हैं। वहीं जीतू पटवारी का व्यक्तित्व बौद्धिक और संयमित राजनीति का प्रतीक माना जाता है। वे संगठन और नीति के स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हैं, लेकिन कई बार उनकी शैली अपेक्षाकृत शांत और कम आक्रामक नजर आती है। ऐसे में वर्तमान राजनीतिक माहौल, जहां आक्रामकता और त्वरित प्रतिक्रिया को महत्व मिल रहा है, वहां उमंग सिंघार की शैली उन्हें बढ़त दिलाती दिखती है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की कीमतों में तेज बढ़ोतरी - ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं। सरकार चाहे इसे "नॉर्मल" बताए, लेकिन हकीकत ये है:

* उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे
* MSMEs को सबसे ज्यादा चोट लगेगी
* रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

भाजपा के राज में मध्य प्रदेश में सारा शोध और अनुसंधान भर्ती परीक्षा घोटाले में किया जा रहा है। भर्ती घोटाले में विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि जहाँ व्यापम घोटाले में OMR शीट बदली जाती थी, वहीं अब पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाले में हाईटेक तरीके से बाहर बैठे व्यक्ति ने परीक्षा कक्ष में बैठे अभ्यर्थी के पेपर सॉल्व कर दिए।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत कर जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ा रहे अजय सिंह

समता पाठक/जगत प्रवाह

वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह मध्यप्रदेश की राजनीति में एक सशक्त, सौम्य और विचारशील नेतृत्व के रूप में पहचाने जाते हैं। वे प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और लंबे समय तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी प्रभावशाली भूमिका निभा चुके हैं। राजनीतिक परंपरा से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने अपनी अलग पहचान मेहनत, अध्ययनशीलता और जनसरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता से बनाई है। अजय सिंह का जन्म 19 अगस्त 1955 को मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र में हुआ। वे मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र हैं, जिनका भारतीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अपने पिता से उन्हें राजनीतिक समझ, प्रशासनिक दृष्टि और जनसेवा की प्रेरणा मिली। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी शुरू की।

राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ की। वे पहली बार विधायक के रूप में चुने गए और शीघ्र ही अपने प्रभावी वक्तृत्व, संगठन क्षमता और मुद्दों की गहरी समझ के कारण पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। उन्होंने चुरहट विधानसभा क्षेत्र से कई बार प्रतिनिधित्व किया और अपने क्षेत्र में विकास कार्यों तथा जनसंपर्क के लिए विशेष पहचान बनाई। अजय सिंह का राजनीतिक व्यक्तित्व संतुलित और विचारशील माना जाता है। वे आक्रामक राजनीति के बजाय मुद्दों पर आधारित संवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। विधानसभा में उनके भाषण तथ्यों, तर्कों और संयमित शैली के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि वे नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी प्रभावी ढंग से सरकार को घेरने और जनता के मुद्दों को उठाने में सफल रहे।

नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका कार्यकाल विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। उन्होंने किसानों, युवाओं, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। साथ ही, प्रदेश में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा। उनकी राजनीति में क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समावेशन की झलक भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। व्यक्तिगत जीवन में अजय सिंह सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। वे अपने समर्थकों और आम नागरिकों के बीच सहज उपलब्ध रहते हैं। उनके व्यक्तित्व में पारिवारिक विरासत की गरिमा के साथ-साथ आधुनिक सोच का समन्वय दिखाई देता है। वे साहित्य, इतिहास और सामाजिक विषयों में भी रुचि रखते हैं, जो उनके भाषणों और विचारों में परिलक्षित होता है।

राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद अजय सिंह ने हमेशा अपनी प्रतिबद्धता और धैर्य बनाए रखा। वे उन नेताओं में से हैं जो संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उन्हें एक अनुभवी और मार्गदर्शक नेता के रूप में देखा जाता है। समग्र रूप से अजय सिंह का जीवन परिचय एक ऐसे जननेता की कहानी है, जिसने विरासत को आधार बनाकर अपनी मेहनत, निष्ठा और जनसेवा के माध्यम से प्रदेश की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान हासिल किया है। उनका योगदान मध्यप्रदेश की लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने और जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है।

कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का भ्रमण कर कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की प्रगति की समीक्षा की। डामकोठी में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुंभ मेले के दिव्य एवं भव्य आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ जैसे विराट आयोजन में किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सभी संबंधित विभाग पूरी क्षमता और समन्वय के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध तरीके से तैयारियों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि मेला आयोजन से जुड़े सभी हितधारकों, धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों तथा साधु-संतों के सहयोग से कुंभ मेले का भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कुंभ से संबंधित कार्यों के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी तथा प्रस्तावित कार्यों के लिए आवश्यक स्वीकृतियां शीघ्र जारी की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने सड़क, पुल, पेयजल, स्वास्थ्य, यातायात और पार्किंग व्यवस्था से जुड़े स्थायी प्रकृति के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा, वर्षाकाल तथा कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रमुख कार्यों के क्रियान्वयन की रणनीति बनाई जाए और विभाग निरंतर बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से सुसज्जित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसके लिए आवश्यक स्वीकृति शीघ्र जारी की जाएगी। उन्होंने मेला नियंत्रण भवन के पास प्रस्तावित सीसीआर-2 भवन परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि कुंभ मेले के सुचारु प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण इस परियोजना को भी शीघ्र वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए खड़खड़ी पुल तथा श्रीयंत्र पुल से संबंधित योजनाओं को भी प्राथमिकता देते हुए उनके लिए आवश्यक स्वीकृतियां जल्द जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश और मुनीकीरेती सहित कुंभ क्षेत्र के सभी सेक्टरों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता तथा सीवरेज प्रबंधन के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने डामकोठी अतिथिगृह, हरिद्वार के विस्तार के निर्देश देते हुए कहा कि मौजूदा भवन से सटे क्षेत्र में एक आधुनिक एवं आकर्षक अतिथिगृह निर्माण की योजना तैयार कर प्रस्तुत की जाए।

व्हालीबॉल प्रतियोगिता के आयोजन के बिलों में जमकर हुआ फर्जीवाड़ा

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. गाडरवारा। विगत वर्ष अक्टूबर 2025 में रूद्र मैदान गाडरवारा में आयोजित हुई 19 वर्षीय आयु वर्ग के बालक-बालिका की राज्य स्तरीय व्हालीबाल शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 की खर्चों को लेकर भारी वित्तीय अनियमितता और आहरण में व्यापक फर्जीवाडे का अंदेशा उजागर हुआ है। हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत निकल गई जानकारी में बिलों को देखकर सीधा-सीधा समझ में आता है कि बच्चों के खेल प्रतिभा निखारने के नाम पर हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता ने शालेय विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को निखारा हो या ना हो मगर आयोजन से संबंधित अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार की प्रतिभा को जरूर उजागर कर दिया है। बिलों का फौरी तौर पर भी देखने में समझ में आ जाता है कि सामग्री के अनाप दर पर रेट और जो सामग्रियां आयोजन में प्रयुक्त ही नहीं की गई। उनको भी बिलों में दर्शाकर बहुत बड़ा घोटाला खेल प्रतियोगिता के नाम पर मिले करीब 39,00000 की राशि के बिलों से जिले के शिक्षा अधिकारी और खेल अधिकारी की मिली भगत से हुआ है। जबकि अभी तो ट्रांसपोर्टेशन, आवास, भोजन व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं के बिल लेना शेष है। इन सबकी राशि भी यदि जोड़ी जाए तो प्रतियोगिता का खर्च करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसमें आयोजन समिति की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मामला इतना बड़ा इसलिए भी है कि यह प्रतियोगिता स्वयं स्थानीय विधायक और स्कूल शिक्षा मंत्री की गृह विधानसभा और उनके कार्यालय की देखरेख में भी संपन्न हुई थी, फिर भी अधिकारियों ने स्वयं मंत्री की प्रतिष्ठा का विचार ना करते हुए इस प्रतियोगीता में भी व्यापक फर्जीवाड़ा कर दिया, जो अब उजागर होना शुरू हो गया है। बिलों को देखकर सहज अंदाजा लग जाता है कि बिलों की रकम को बढ़ाने के लिए सामानों और उनकी नग संख्या को अनाप-सनाप बिलिंग के रूप दर्शाया गया है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में हर सामग्री की बिलिंग 4 दिवस के हिसाब से की गई है बिल में टेंट कुर्सी में 10000 नग कुल किराया 128000 रुपए के दर्शाए गए हैं तो इसी तरह ठंड के मौसम में रात्रि कालीन प्रतियोगिता में भी 160 नग टेंट कूलर का किराया 144000 दिखाना, मंच डेकोरेशन में-374400 रुपए दर्शाए, 30×300 का 4 दिन में 169200 का शामियाना दर्शाया, 117000 का कारपेट मेट दर्शाया इसके साथ अलग से मंच के समक्ष 312000 की बिछाई कार्पेट दर्शाई, 600 नग के vip सोफे 990 की दर से 594000 रुपए दर्शाए, 360 नग स्टील के सोफे 415 की दर 149400 रुपए दर्शाए,खेल मैदान में डेस 14.22 की दर से 81000 नग का 1151820 रुपए दर्शाए साथ ही बिल में प्रस्तुत अन्य सामग्री व उनके रेट के यह आंकड़े भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या साबित करते है।

नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन- 18.50 ग्राम ब्राउन शुगर जप्त, दो आरोपी गिरफ्तार

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा। पुलिस अधीक्षक विदिशा रोहित काशवानी के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विदिशा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमती शिखा भलावी के मार्गदर्शन में थाना बासौदा शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 18.50 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर (कीमती लगभग 2,00,000/- रुपये) जप्त की है। थाना बासौदा शहर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति पुरानी मंडी स्थित मंदिर के पास चबूतरे पर ब्राउन शुगर लेकर बैठे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की तलाशी लेने पर नवलेश मैना से 7.85 ग्राम, राकेश बंजारा से 10.65 ग्राम, इस प्रकार कुल 18.50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद कर जप्त की गई। पूछताछ में आरोपियों ने अन्य साथियों के नाम बताए हैं, जिनके विरुद्ध पृथक से कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में अपराध क्रमांक 202/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

युद्ध का नया हथियार डिजिटल गड़बड़ी

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

संचार क्रांति से हमें वैश्विक वार्तालाप एवं समुद्र तथा आसमान में मार्गदर्शक सुविधाएं प्राप्त हैं। किंतु अब यही सुविधाएं होर्मुज जलडमरू मध्य के संकीर्ण मार्ग में जहाजों के भटकाव का आधार बन रही हैं। जिस जीपीएस प्रणाली से चालक दल अपना समुद्री मार्ग निर्धारित करते हैं, उसमें अब इलेक्ट्रोनिक गड़बड़ी पैदा करके जहाजों को भटकाया जा रहा है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे घमासान में समुद्र और आसमान के बीच नेविगेशन अर्थात सही मार्ग से भटकाव का संकट पैदा कर दिया है। युद्ध में सेनाएं और तकनीकी विषेशज्ञ जीपीएस-जैमिंग (रेडियो सिग्नल) और स्पूफिंग (छद्म पहचान) का सहारा लेती हैं। इसका सबसे ज्यादा असर होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा के सामने ये मार्गदर्शक तकनीक बधाएं खड़ी कर रही हैं। इसके चलते सागर में गतिमान व्यापारिक जहाज अपनी वास्तविक स्थिति से एक तो अलग-थलग दिखाई दे रहे हैं, दूसरे तय मार्ग से भटक भी रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में यह जोखिम इसलिए गंभीर हो जाता है, क्योंकि गलत दिषा में गया जहाज सीधे टकराव, उथले पानी या हमले की जद में आ जाता है।

जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की साइबर सुरक्षा शोधकर्ता अन्ना रेमेकर के अनुसार आधुनिक जहाजरानी उपग्रह आधारित जीपीएस पर अत्याधिक निर्भर है। यह प्रणाली पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों से आने वाले संकेतों के आधार पर मानचित्र में जहाज की स्थिति निष्चित जगह बताती है। रिसीवर इन रेडियो संकेतो के पहुंचने में लगने वाले समय की गणना करके स्थल निर्धारित करता है। चूंकि समुद्र की सतह या धरती पर पहुंचते-पहुंचते ये संकेत अत्यंत कमजोर हो जाते हैं, इसलिए इनमें हस्तक्षेप करना सरल होता है। जीपीएस संबंधी बधाएं दो तरीकों से डाली जाती हैं, एक जैमिंग और दूसरी स्पूफिंग। जैमिंग में हमलावर विद्युत-चुबंकीय शोर पैदा करके असली उपग्रह संकेतों को भ्रामक बना देते हैं। इस कारण रिसीवर या चालक संकेत समझ नहीं पाने के कारण भटक जाते है। ऐसी स्थिति में नेविगेषन स्क्रीन स्थिर हो सकती है या अचानक गलत दिशा दिखाने लगती है। जीपीएस जैमिंग में व्यवधान पैदा करने की दृष्टि से सेनाएं उसी फ्रीक्वेंसी पर हाई-इंटेसिटी रेडियो सिग्नल भेजती हैं, जिसका उपयोग जीपीएस सिस्टम करता है।

स्पूफिंग एक ऐसी जटिल तकनीक है, जो असली पहचान छिपाकर छल-कपट करने में दक्ष होती है। इसमें उपग्रह से भेजे जाने वाले नकली संकेत इस प्रकार भेजे जाते है कि जहाज का रिसीवर उन्हें असली समझ लेता है। यह संकेत 20,000 किमी की दूरी तय करके सतह पर आते है। परिणामस्वरूप जहाज की लोकेशन गलत दिखाई देने लगती है। यदि जहाज उत्तर दिशा में जा रहा हो तो जीपीएस प्रणाली उसे दक्षिण दिशा में जाना दिखाने लगती है। खुले एवं सपाट समुद्र में इस गड़बड़ी की असली पहचान बेहद कठिन हो जाती है। ऐसी स्थिति में जलडमरू मध्य जैसे संकीर्ण मार्गों में यह स्थिति खतरनाक बन जाती है, क्योंकि तब गलियारा सकरा होने के कारण शत्रु द्वारा किसी जहाज को निषाना बनाना आसान हो जाता है। होर्मुज जैसे संकरे समुद्री मार्ग में संकट इसलिए अधिक हो जाता है, क्योंकि यहां जल की गहराई तीव्रता से बदलती रहती है और जहाजों के पास दिषा सुधारने के लिए बहुत कम समय होता है। तेल और गैस जैसे बड़े मालवाहक जहाज अत्यंत धीमी गति से मुड़ते हैं, इसलिए मामूली गलती भी टकराव या हमले का कारण बन जाती है। होर्मुज क्षेत्र को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार का सबसे अधिक संवेदनशील केंद्र माना जाता है। दुनिया का 20 प्रतिशत ऊर्जा व्यापार इसी मार्ग से होता है। कतर जैसे देशों से होने वाली तरल प्राकृतिक गैस की अधिकतम आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। ऊर्जा के प्रमुख निर्यातक देश ईरान, सऊदी अरब, ईराक, कुवैत और यूएई के लिए यह एक मात्र प्रमुख समुद्री व्यापारिक रास्ता है। यह रास्ता ओमान और ईरान के बीच स्थित फारस की खाड़ी में है। इस मार्ग का सबसे सकरा हिस्सा मात्र 21 मील चौड़ा है, जिससे यहां परिवहन कठिन होता है। यहां तेल टैंकरों पर सबसे ज्यादा हमले होते है। बावजूद वैश्विक ऊर्जा की सप्लाई की यह जीवन रेखा है।

जहाजों की सुरक्षा चुनौती केवल जीपीएस में गड़बड़ी तक सीमित नहीं है। जहाजरानी कंपनियां रैंसवेयर सप्लाई चैन हमलों और जहाजों के इंजन प्रोपल्शन एवं नेविगेशन नियंत्रण प्रणालियों पर भी डिजिटल हमलों के खतरे बढ़ गए हैं। उपग्रह इंटरनेट और रिमोट निगरानी के उपयोग से ज्यादा जुड़े हुए हैं। इस कारण मार्गों पर साइबर हमलों की संख्या बढ़ गई है। इन इलेक्ट्रोनिक हमलों को प्रशिक्षित चालक दल इसलिए ठीक-ठीक नहीं समझ पाता है, क्योंकि उन्हें केवल ई-मेल फिशिंग और यूएसबी सुरक्षा का प्रशिक्षण देने तक सीमित रखा जाता है। जबकि वास्तविक समुद्री संकट तब पैदा होता है, जब नौका चालन प्रणाली को जैमिंग और स्पूफिंग तकनीक के जरिए भटकाने के प्रयास कर दिए जाते है। ऐसे में चालक दल को यह समझना कठिन होता है कि यह तकनीकि खराबी है अथवा साइबर हमला। ऐसी स्थिति इसलिए पैदा हो जाती है, क्योंकि सबकुछ डिजिटल कर दिया गया है। जबकि पारंपरिक नौवहन कौशल से जुड़ी शिक्षा लगातार कम हो रही है। इस कारण अनेक व्यापारिक जहाजों पर अब मानचित्र और कागजी संकेत रहते ही नहीं हैं। खगोलीय-नौवहन का अभ्यास भी बहुत कम रह गया है। ऐसे में यदि इलेक्ट्रोनिक प्रणालियां बाहरी प्रभाव से गड़बड़ा दी जाती हैं तो चालक दल के पास वास्तविक स्थिति को जानने का कोई आधार नहीं रह जाता है।

भारत ने समुद्री मार्ग को पहचानने के लिए अपने उपग्रहों की संख्या विकसित कर ली है। इस श्रृंखला में उपग्रह आईआरएनएसएस-1-ए, आईआरएनएसएस 1-बी, आईआरएनएसएस 1-सी, 1-डी, एवं 1-ई, जनवरी 2016 में और छठा आईआरएनएसएस 1-एफ मार्च 2016 में अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिए गए हैं। हालांकि नौवहन सेवाएं चार उपग्रहों से भी संचालित की जा सकती रही हैं, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने निगरानी प्रणाली को दोशमुक्त व सटीक बनाए रखने के लिए पूरे जीपीएस को 09 उपग्रहों से जोड़ दिया है। इन उपग्रहों में परस्पर अंतर्संबंधों के चलते 'नाविक' नामक यह प्रणाली भूमि आकाश व समुद्री सतहों पर दिषा व दूरी की सूचनाएं जहाजों के चालक दल को देती है। यह प्रणाली चालक दलों को दिशाओं का ज्ञान कराएगी,वहीं वाहनों के भीतर के दृष्य व श्रृव्य,चित्र व संकेत भी उपलब्ध कराती है। भटके हुए समुद्री जहाजों को इस कारण दिशा-निर्देशित करना आसान होता है।

सरहुल उत्सव जनजातीय संस्कृति की विशिष्ट धरोहर, इसे संजोकर रखना हम सबकी जिम्मेदारीः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर के दीपू बगीचा में आयोजित पारंपरिक सरहुल महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने जिलेवासियों को सरहुल उत्सव एवं हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरहुल महोत्सव सदियों से प्रकृति, धरती और जीवन के संतुलन का प्रतीक रहा है। बैगा, पाहन एवं पुजारी द्वारा की जाने वाली पूजा-अर्चना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सामूहिक जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति है। इस अवसर पर उन्होंने धरती माता, सूर्य देव एवं साल वृक्ष की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि, उत्तम वर्षा और समृद्ध फसल की कामना की। सरहुल की पारंपरिक रस्म के तहत पूजा कराने वाले बैगा द्वारा मुख्यमंत्री के कान में सरई (साल) फूल खोंचकर शुभ आशीष प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि यह पर्व जनजातीय समाज की समृद्ध सभ्यता और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है, जिसे सहेजकर रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता से किए गए वादों को तेजी से पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 25 किश्तों में 16 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी किए जा चुके हैं, जिससे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। वहीं 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रस्तुत धर्म स्वातंत्र्य विधेयक भी सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेगा।

उल्लेखनीय है कि सरहुल परब चैत्र माह में मनाया जाने वाला उरांव समुदाय का प्रमुख पर्व है, जो प्रकृति के नवजीवन और ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। इस पर्व में धरती माता और सूर्य देव के प्रतीकात्मक विवाह के साथ सामूहिक पूजा की जाती है। सरना स्थल पर पारंपरिक विधि से पूजा-अर्चना, प्रसाद वितरण और लोकनृत्य-गीतों के माध्यम से सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ किया जाता है। घर-घर सरई फूल और पवित्र जल का वितरण कर सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजी 100 से अधिक महिलाओं एवं युवतियों की टोली ने मनमोहक सरहुल नृत्य प्रस्तुत किया। मांदर की गूंजती थाप और उत्साह से भरे वातावरण ने पूरे परिसर को जनजातीय संस्कृति के रंग में रंग दिया, जहां जनसैलाब उमड़ पड़ा और उत्सव का उल्लास चरम पर रहा।

विश्व जल दिवस पर विशेष

पानी का संकट : भारत से दुनिया तक का खतरा

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद

जल ही जीवन है और इसके बगैर जिंदगी संभव नहीं है। पृथ्वी का 70 प्रतिशत हिस्सा जलमय है जिसमें यह बताना आवश्यक है कि पानी का 97 प्रतिशत भाग अकेले महासागरों व समुद्रों में है। समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है। बाकी 1.8 प्रतिशत पानी बर्फ के रूप में ध्रुवों पर मौजूद हैं। बाकी 1.2 प्रतिशत पानी नदियों और तालाबों में है। पानी की गहराते संकट को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2005 से 2015 के दशक को जल दशक घोषित किया था। हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाने वाला "विश्व जल दिवस" वैश्विक जल संकट की एक भयावह याद दिलाता है, जिसमें 220 करोड़ लोग अभी भी सुरक्षित और शुद्ध जल से वंचित हैं। पिछले कुछ वर्षों से ही पानी की कमी होती जा रही है चाहे वह सतही जल हो या भुजल। विश्व के कई हिस्सों बारिश की अनियमिता, भुजल स्तर में गिरावट और बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की उपलब्धता गंभीर चिंता की विषय बन गई है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पानी की कमी है। उतरी अफ्रीका के कुछ देशों के बीच भी पानी की वजह से झगड़े होते रहे हैं। इजरायल, जॉर्डन, मिश्र और इथियोपिया जैसे कुछ अन्य देशों के बीच भी पानी की कमी हो गई है।

प्राकृतिक संसाधनों पर शोध करने वाली अमेरिकी संस्थान "वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट" के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 37 देश पानी की भारी किल्लत से गुजर रहे हैं। इसमें सिंगापुर, पश्चिमी सहारा, कतर, जमैका, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत समेत 19 देश ऐसे हैं जहां पानी की आपूर्ति मांग से बेहद कम है। 11 अरब लोग वैश्विक तौर पर स्वच्छ पेयजल की पहुंच से बाहर है। 32 भारतीय शहरों में में से 22 शहर पानी की किल्लत से गुजर रहे हैं। पेयजल के मामले पर "ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वॉटर" द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला तथ्य दुनिया के सामने रखा गया था कि दुनिया भर में इस दशक के अंत तक ताजे पानी की आपूर्ति की मांग 40 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी और पानी की कमी के साथ ही निरंतर बढ़ती गर्मी के कारण आने वाले दो दशकों में खाद्यान्न उत्पादन काफी घट जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत को भी इस वजह से खाद्य आपूर्ति में 16 प्रतिशत से अधिक की कमी का सामना करना पड़ेगा जिससे खाद्य असुरक्षित आबादी में 50 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि होगी। भारत में जल आपूर्ति की उपलब्धता 1,100 से 1,197 बिलियन क्यूबिक मीटर के बीच है और पानी की मांग भारत में 2010 के मुकाबले 2050 तक दोगुनी होने की उम्मीद है। वास्तविकता यही है कि जल संकट दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ भारत के लिए भी एक विकट समस्या बन चुका है। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ स्थिति बिगड़ने लगती है। भारत में वैश्विक जनसंख्या का करीब 18 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है जबकि भारत को केवल 04 प्रतिशत जल संस्थान ही उपलब्ध है। अटल भूजल योजना को देश भर में भुजल के गिरते स्तर को देखते हुए चलाया जाना चाहिए। कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस ने दुनिया और भारत में पानी की स्थिति के बारे में भयावह चित्र प्रस्तुत किया था। नदियों को भारत की जीवन रेखा माना जाता रहा है लेकिन इस सम्मेलन में कहा गया कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों में पानी कम होता जाएगा और 2050 तक पानी की उपलब्धता जरूरत से एक तिहाई कम रह जाएगा। करीब ढाई हजार किलोमीटर लंबी गंगा देश की सबसे प्रमुख नदी है जिसपर कई राज्यों में करोड़ों लोग निर्भर करते हैं। हिमालय में कुल 9,575 हिमनद (ग्लेशियर) हैं और नदियों में पानी हिमनदी से आता है। केवल उत्तराखंड में ही 968 हिमनद है लेकिन मौसम के असाधारण परिवर्तन के कारण हिमनद तेजी से पिघलने लगे हैं। पिछले 87 वर्षों में 30 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद का 1.75 किलोमीटर हिस्सा पिघल गया है। हिमनदों के तेजी से पिघलने से देश में पानी की भयावह किल्लत पैदा होने का अनुमान लगाए जा रहे हैं।

वर्तमान में देश का लगभग एक तिहाई भाग या तो सूखाग्रस्त है या रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। इसके कारण कृषि पर निर्भर समुदायों की विवशता बढ़ गई है और साथ ही श्रोतों का दोहन अधिक हो गया है जिससे संसाधनों का कुप्रबंधन हो रहा है और भू-गर्भीय संकट उत्पन्न हो गया है। अति दोहन से जल दूषित हो रहा है और तब स्थिति और गंभीर हो जाती है जब समुदायों में जल सुरक्षा योजना से जुड़े पर्यावरण संबंधी स्वास्थ मानकों को कायम रखने के लिए आवश्यक जानकारी, बुनियादी ढांचे और सेवाओं की कमी होती है। भारत में पानी की जरूरत बढ़ रही है और देश की जीवन रेखा एक बेहद दवाब में है। दुनिया भर में हमारा वार्षिक भूजल दोहन सबसे अधिक है। जिस तरह से पानी हमसे दूर होता जा रहा है उससे पानी का मोल अब सभी को पहचानना होगा। हमें अनावश्यक रूप जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

स्मार्ट घरों के 'डिजिटल पहरेदार' : रक्षक या भक्षक?

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपने घरों को 'स्मार्ट' बनाने की चाहत में सुरक्षा के उस बुनियादी सिद्धांत को भूलते जा रहे हैं, जो जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर होता है। जिस तकनीक को हमने अपनी दहलीज की रखवाली के लिए चुना था, क्या वही आज हमारी सांसों की दुश्मन बन बैठी है? हाल ही में इंदौर में हुई वह हृदयविदारक घटना, जिसमें एक परिवार अपने ही घर के 'स्मार्ट सेंसर लॉक' की वजह से काल के गाल में समा गया, हमारे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। आग की लपटें बाहर थीं और तकनीक की बेड़ियाँ अंदर। इससे पहले एक कारोबारी के आलीशान पेंटहाउस में भी यही मंजर दिखा था जहाँ दरवाज़ा तकनीक के भरोसे बंद था, लेकिन संकट के समय वही तकनीक उसकी मौत का कारण बन गई। यह केवल दो घटनाएं नहीं हैं, बल्कि उस खतरनाक ट्रेंड का संकेत हैं जहाँ हम सुरक्षा के नाम पर 'सुविधा' को घर ला रहे हैं, विवेक को नहीं। सेंसर आधारित लॉक चाहे वे फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन या पासवर्ड पर आधारित हों पूरी तरह बिजली, बैटरी और सॉफ्टवेयर पर निर्भर होते हैं। तकनीकी रूप से देखें तो आग लगने पर अत्यधिक तापमान, धुंआ और शॉर्ट-सर्किट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को निष्क्रिय कर सकते हैं। ऐसे में जो दरवाज़ा सुरक्षा का प्रतीक था, वही निकास का सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है।

यह समस्या वैश्विक है

अमेरिका और चीन में स्मार्ट लॉक फेल होने के मामलों के बाद वहां 'मैकेनिकल ओवरराइड' को अनिवार्य सुरक्षा फीचर बनाया गया है। दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने तो 'फेल-सेफ' सिस्टम को अपने बिल्डिंग कोड में ही शामिल कर लिया है। भारत में भी यह खतरा वास्तविक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, देश में हर वर्ष हजारों आग की घटनाएं दर्ज होती हैं, जिनमें मौत का बड़ा कारण 'घर के अंदर फंसे रहना' होता है। यह आंकड़ा हमें आगाह करता है कि एग्जिट की विफलता अक्सर आग से भी बड़ा खतरा साबित होती है।

'स्मार्ट' होने का अर्थ डिजिटल होना नहीं

हकीकत यह है कि हर तकनीक हर घर के लिए उपयुक्त नहीं होती। तकनीकी रूप से सक्षम छोटे परिवारों या नियंत्रित कमर्शियल स्पेस के लिए ये लॉक भले ही सुविधाजनक हों, लेकिन बुजुर्गों, बच्चों या घरेलू सहायकों वाले घरों में, जहाँ एक ही निकास द्वार हो, वहां पूरी तरह डिजिटल लॉक पर निर्भरता आत्मघाती हो सकती है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, 'स्मार्ट' होने का अर्थ केवल डिजिटल होना नहीं, बल्कि सुरक्षित होना है। इसके लिए 'डयूल लॉक सिस्टम' अपनाना अनिवार्य है, जिसमें सेंसर के साथ एक चाबी का विकल्प हमेशा मौजूद रहे।

ईवी डराने वाली सुरक्षा चुनौतियां

जैसे घरों में स्मार्ट लॉक का जाल बिछा है, वैसे ही सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की रफ्तार बढ़ी है। नीति आयोग की रिपोर्ट्स ईवी को भविष्य की जरूरत बताती हैं, लेकिन इनके साथ जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां डराने वाली हैं। ईवी में आग लगने का मुख्य वैज्ञानिक कारण 'थर्मल रनअवे' है, जिसमें बैटरी के सेल्स अनियंत्रित रूप से गर्म होकर फटने लगते हैं। यह अक्सर ओवरचार्जिंग, गलत चार्जर का उपयोग या बैटरी के डैमेज होने से होता है। साल 2022 में भारत में हुए कई ईवी स्कूटर हादसों के बाद सरकार को जांच के आदेश देने पड़े और हजारों गाड़ियां रिकॉल की गईं। जर्मनी और जापान जैसे देशों में ईवी बैटरियों के लिए 'क्राश-टेस्टिंग' अनिवार्य है, जबकि हमारे यहाँ अभी यह जागरूकता शुरुआती दौर में है।

जीवन रक्षक 'आपातकालीन निकास'

अक्सर मौत का कारण आग नहीं, बल्कि 'निकास का न होना' होता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का सुझाव है कि हर घर में कम से कम एक खिड़की ऐसी होनी चाहिए जो संकट के समय 'फ्री-वे' का काम करे।

अंदर से खुलने वाली ग्रिल : सुरक्षा के लिए खिड़कियों में फिक्स्ड ग्रिल के बजाय ऐसी ग्रिल लगवाएं जिसमें अंदर की तरफ एक लीवर या मैन्युअल लॉक हो।

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव

स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में सतत् प्रगति पथ पर

छत्तीसगढ़

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

- विगत दो वर्षों में **1600 से अधिक** चिकित्सकीय पदों पर भर्तियां
- दूरस्थ इलाकों तक सुगम चिकित्सा सेवाओं के लिए **पीएम जनमन योजना** अंतर्गत 57 डेडीकेटेड मोबाइल मेडिकल यूनिट
- टेलीमेडिसिन के माध्यम से विगत दो वर्षों में **2 लाख से अधिक** लोगों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत पिछले दो वर्षों में कुल 31.44 लाख से अधिक क्लेम प्रकरणों में लगभग **₹4551 करोड़** का उपचार/भुगतान
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत पिछले दो वर्षों में कुल 2273 लाभार्थियों को **₹62.20 करोड़** की उपचार सहायता
- मुख्यमंत्री शासकीय अस्पताल रूपांतरण कोष अंतर्गत विगत दो वर्षों में 177 कार्यों हेतु **₹271.45 करोड़** की प्रशासकीय स्वीकृति
- **5 नए** शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
- **6 नवीन** शासकीय फिजियोथैरेपी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
- **9 नवीन** शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना

R.O. No. : 13711/1

सुशासन से समृद्धि की ओर | ChhattisgarhCMO | DPRChhattisgarh | www.dpreg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जैसन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)